(1)

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

पत्रांक. DSW/1514-33-527/2013 दिनांक 14.06.2013

सेवा में,

1.प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या/प्रभारी प्राध्यापक/प्रभारी प्राध्यापिका सभी अंगीभूत/सम्बद्ध महाविद्यालय, ति0मां0भा0वि0वि0भागलपुर ।

2.सभी स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष/अध्यक्षा ति0मां0भा0वि0वि0भागलपुर ।

3.प्रभारी प्राध्यापक,स्नातकोत्तर केन्द्रीय कार्यालय ति0मां0भा0वि0वि0भागलपुर एवं

4.निर्देशक,स्नातकोत्तर केन्द्रीय पुस्तकालय ति0मां0भा0वि0वि0भागलपुर ।

विषय :-नामांकन में आरक्षण की नियमावली ।

महाशय/महाशया,

उपयुर्क्त विषयक राज्य सरकार के संकल्पानुसार सरकार के सचिव श्री अरविन्द प्रसाद के कार्यालय ज्ञापांक 11आ.2 नो.12/02का.456/पटना दिनांक 30.09.2002 के आलोक में आपको सूचित करना है कि विभिन्न वर्गो में नामांकन निम्नांकित आरक्षण के नियम के अनुरूप किया जाय -

1.अनुसूचित जाति	-एस0एसी0	16
2.अनुसूचित जन-जाति	-एस0टी0	01
3.अति पिछड़ा वर्ग		18
4.पिछड़ा वर्ग		12
5.पिछड़े वर्ग की महिलाऐं		03

आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण -

1.अनुसूचित जाति के लिए नामांकन हेतू सुरक्षित स्थान के रिक्त रहने पर इन स्थानों का उपयोग अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थीयो के नामांकन के लिए किया जाय ।

2.उपर्युक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थीयो के नामांकन के पश्चात यदि सुरक्षित स्थान रिक्त रह जाते हैं तो इनका उपयोग अत्यन्त पिछड़ी जाति 'एक' के अभ्यर्थीयो के नामांकन के लिये किया जायेगा ।

दोनों प्रकार के अभ्यर्थीयों के नामांकन के पश्चात यदि सुरक्षित स्थान रिक्त रह जाते हैं तो इनका उपयोग पिछड़ी जाति सूचि 'दो' के अभ्यर्थीयों के नामांकन हेतु किया जाय । यदि इन चारों प्रकार के अभ्यर्थीयों के नामांकन के पश्चात स्थान रिक्त रह जाते हैं तो इनका उपयोग आरक्षितवर्ग की महिला अभ्यर्थीयों के नामांकन के लिए किया जायेगा ।

तथा सभी कोटी के अभ्यर्थीयों के नामांकन के उपरांत सुरक्षित स्थानों के रिक्त रह जाने की अवस्था में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों का नामांकन उन स्थानों पर हो सकेगा ।

द्वितीय/अन्य सूचि के प्रकाशन में भी आरक्षण के नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।

कुलसचिव के कार्यालय पत्रांक बी/23739-23945 दिनांक 7/8/2002 के अनुसार विशेष प्रावधानों के अंतर्गत नामांकन के लिए स्थान निधारित स्थान यथावत रहेगें :-

1.वार्ड केस	02
2.खेल कूद	02
3.सेवा र्निवत्त सैनिक के वार्ड	1/2
4.एन0एसी0एसी0	1/2
	कुल- 05% (पाँच प्रतिशत)
5.विकलांग	03% (तीन प्रतिशत)

बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, पटना के संकल्प के अनुसार उनके ज्ञापांक-11/आ.4 नो. 02/2001 का.210/पटना दिनांक 4.06.2002 के तहत शैक्षिनिक सस्थानों में नामांकन में विकलागों के लिए भी 3 तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

चयनित विकलांग उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के जिस वर्ग से आते हों उसी वर्ग में उनकी गनती होगी । किसी नामांकन विशेष के लिए चयनित विकलांग उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं तो उनकी गनती अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायेगी । यदि वे अनुसूचित जनजाति के है, तो उनकी गिनती अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायेगी । यदि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से संबंध रखते हो तो उनकी गनती क्रमशः अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायेगी । इस प्रकार यदि वे सामान्य वर्ग के हो तो उनकी गिनती सामान्य वर्ग के ही